

# फर्ट अहकॉम

( नियम 26 )

नत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

देखा पुत्र लक्ष्मी चौरा ९५

बनाम

देना प्रस चौरा चौरा (23) दि नेहरोका


जाति लुहार मि नेहरोका चौरा अरुणिया त. नोखडा

चौरा अरुणिया उपखण्ड अधिकारी नोका

किसम मुकदमा राजस्व आवेदन

अधि. मुकदमा नम्बर

70/22

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
3/5/22	<p>प्रार्थी / वादी / अपीलोट के वकील श्री <u>पिपित सिट</u>                      ने यह प्रार्थना पत्र / वाद / अपील धारा <u>111, 128</u> राजस्थान                      कास्तकारी अधिनियम / भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज                      रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रैस्पोंडेन्ट जरीये नोटिस / सम्मन तलब होकर                      पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>2/6/22</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(पनि)                      उपखण्ड अधिकारी                      गुड़ामालानी</p>	
7/6/22	<p>पत्रावली काज पेश हुई वकील शर्मागण उपस्थित।                      वकील शर्मागण द्वारा विपक्षीगण के समक्ष डाक                      द्वारा 'नोकर रसीद' पेश की रसीदें शर्मागण पत्रावली                      की गये। विपक्षीगण कटपस्थित इंतजार हो। कास्ट-5।                      पत्रावली दिनांक <u>8/07/22</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(पनि)                      उपखण्ड अधिकारी                      गुड़ामालानी</p>	<p>(पत्रावली दिनांक)  <u>7/5/22</u></p>
28/07/22	<p>पत्रावली काज पेश हुई वकील शर्मागण उपस्थित।                      विपक्षीगण कटपस्थित। विपक्षीगण को कस्ट-5 मिलने                      गये। काव-5 कावके दिनांक के कटपस्थित रहने                      के विपक्षीगण के खिलाफ एक तरफ का कार्यवाही की                      जाती है वकील शर्मागण के कस्ट हुई। कोर्ट                      कलक के खिलाफ जाकर सुले न्यायालय सुकान                      गया। कोर्ट की पालनाई लक्ष्मी जारी हो। पत्र                      धार होने पर शर्मागण पत्रावली की जावे। कास्ट-5।                      दिनांक सुकर होकर शर्मागण उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">(पनि)                      उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)  
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 70/2022

प्रार्थीगण :-

1. रेखा पुत्र टीकमा
2. वेहना पुत्र टीकमा
3. केसरापुत्र टीकमा
4. जोगा पुत्र टीकमा

कौम सुथार निवासी नेहरों का बेरा ग्राम पंचायत अणखिया तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण :-

बनाम

1. नैना पुत्र भैरा
2. किशनाराम पुत्र लुम्बाराम
3. भैराराम पुत्र लुम्बाराम
4. दलाराम पुत्र उदा
5. मानाराम पुत्र तेजाराम
6. धनाराम पुत्र तेजाराम
7. पूराराम पुत्र तेजाराम
8. जूजाराम पुत्र तेजाराम
9. मोतीराम पुत्र तेजाराम
10. दलूदेवी पत्नी तेजाराम  
कौम जाट निवासी भूरजी गोदारों की ढाणी ग्राम पंचायत अणखिया तहसील नौखडा
11. चन्दू पत्नी केसाराम
12. ठाकराराम पुत्र केसाराम
13. प्रहलादराम पुत्र केसाराम
14. भंवराराम पुत्र केसाराम
15. नाथाराम पुत्र लालाराम
16. पन्नाराम पुत्र लालाराम
17. भूराराम पुत्र लालाराम
18. हरचन्द्रराम पुत्र लालाराम  
कौम जाट साकिन नेहरों का बेरा ग्राम पंचायत अणखिया तहसील नौखडा जिला बाड़मेर
19. लालाराम पुत्र लिखमाराम
20. धर्मराम पुत्र निम्बाराम
21. पुरखाराम पुत्र निम्बाराम
22. नन्दराम पुत्र निम्बाराम
23. तीजों पत्नी निम्बाराम  
कौम मेघवाल निवासी नेहरों का बेरा ग्राम पंचायत अणखिया तहसील नौखडा
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नौखडा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

-:: आदेश ::-

दिनांक :- 08/07/22

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2073-2076 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी